



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ()/चि. व स्वा./आरोग्य राजस्थान/2015/ 64

दिनांक : 21.01.2016.

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

माननीया मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2015-16 के बिन्दु संख्या 121 आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत आशा सहयोगिनियों द्वारा भरे गये आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 10 तक की सूचना आरोग्य राजस्थान ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में एन्ट्री करने हेतु जिला स्तर पर टेण्डर प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित दर से फर्म को भुगतान करने हेतु कुल राशि 150.00 लाख (अक्षरे रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की स्वीकृति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निम्नानुसार एतद् द्वारा जारी की जाती है ।

क्र. सं.	जिले	राशि (रूपये लाखों में)
1	अजमेर	4.70
2	अलवर	8.00
3	बांसवाडा	5.00
4	बारा	3.00
5	बाढमेर	6.00
6	भरतपुर	4.60
7	भीलवाडा	5.00
8	बीकानेर	5.40
9	बूदी	2.80
10	चित्तौडगढ	4.00
11	चुरू	5.00
12	दोसा	4.00
13	धोलपुर	3.00
14	डुंगरपुर	4.00
15	गंगानगर	2.60
16	हनुमानगढ	2.00
17	जयपुर प्रथम	4.10
18	जयपुर द्वितीय	4.00
19	जैसलमेर	1.40
20	जालौर	5.20
21	झालावाड	4.40
22	झुंझुनु	5.60
23	जोधपुर	6.40
24	करोली	4.00
25	कोटा	2.50
26	नागौर	8.40
27	पाली	5.20
28	प्रतापगढ	3.30
29	राजसमंद	3.10
30	सवाई माधोपुर	3.20
31	सीकर	6.00
32	सिरोही	2.90
33	टोंक	3.40
34	उदयपुर	7.80
	कुल योग	150.00

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के बिन्दु संख्या 121- आरोग्य राजस्थान की कार्य योजना की क्रियान्विति के अंतर्गत आशा सहयोगिनियों द्वारा भरे गये आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 10 तक की सूचना आरोग्य राजस्थान ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में एन्ट्री करने हेतु जिला स्तर पर टेण्डर प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित दर से फर्म को भुगतान करने हेतु वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के बजट मद 2210-01-001-(01)-62 आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य प्रपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 10 तक की एन्ट्री आरोग्य राजस्थान ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में करने हेतु उक्त बजट राशि स्वीकृत की गई है। उक्त बजट मद का ऑब्जेक्ट हैड जिला/ब्लॉक स्तर पर नहीं होने के कारण वित्त विभाग की आईडी संख्या 101504338 दिनांक 09.11.2015 की स्वीकृति उपरांत यह राशि अतिरिक्त निदेशक (प0क0) मुख्यालय के पी.डी. खाता में स्थानान्तरण कर राशि बैंक डी. डी/चैक द्वारा आपको भिजवाई जा रही है।


आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे के बिन्दु संख्या 1 से 10 तक की सूचना की एन्ट्री प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर विभाग द्वारा तैयार करवाये गये आरोग्य राजस्थान ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में सही करने पर प्रत्येक प्रपत्र की एन्ट्री के अनुसार जिला स्तर पर टेण्डर के अनुसार निर्धारित दर के आधार पर स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों की एन्ट्री करने वाली फर्म को नियमानुसार भुगतान किया जाना है।

जिले द्वारा टेण्डर के आधार पर चुनी गई फर्म को स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों की सही ऑनलाईन एन्ट्री पीएचसी/सीएचसी/एसडीएच पर संबंधित क्षेत्र की एएनएम एवं चिकित्सा प्रभारी अधिकारी के प्रमाणित करने पर ही प्रत्येक सही प्रपत्र के आधार पर भुगतान किया जाना है।

वित्त विभाग के निर्देशानुसार घोषणा की क्रियान्विति आरटीपीपी एक्ट 2012 के प्रावधानों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुये वास्तविक आवश्यकतानुसार ही न्यूनतम व्यय, निर्धारित प्रयोजनार्थ किया जाना सुनिश्चित करें।

आरोग्य राजस्थान योजना का समस्त मूल रिकॉर्ड निदेशक (जन स्वास्थ्य) के अधीन रहेगा। ऑडिट निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा करवाई जावेगी। अन्य सूचनार्यें (आरटीआई/विधानसभा) मांगी जाने पर निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।

समस्त जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त राशि वर्ष 2015-16 में व्यय की जाकर संलग्न प्रारूप में उपभोगिता प्रमाण पत्र राज्य स्तर पर तुरन्त भिजवायें। डीडी/चैक की प्राप्ति रसीद शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।




(डॉ. वी.के. माथुर)

निदेशक (आरसीएच एवं प0क0)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चि., स्वा. एवं प. क. एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) निदेशक (आई. ई. सी.) एवं संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
4. निदेशक (जन स्वा.)।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण को भेजकर लेख है कि राशि रुपये 150.00 लाख पीडी खाते से आहरित कर उपरोक्तानुसार जिलों को तुरन्त भिजवाये।
8. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय।
9. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प.क.) मुख्यालय
10. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. स्टेट नोडल अधिकारी, आरोग्य राजस्थान, मुख्यालय जयपुर।
12. सर्वर रूम।



निदेशक (आरसीएच एवं प0क0)

Form No. GFR-19A

Name of the Department/Institution /Society:

Utilization Certificate for the year: 2015-16

Dated:

Sanction letter no. and date	Purpose	Amount
(Please give here details of Sanc. letters)		
1. Letter No. Date:- Chq.no. dt. Budget Head 2210-01-001-(01)- Object Head 08-Health Survey Honorarium of Asha 29-Health Camp at Panchayat level 36- Transportaion Expenses District/Block level monitoring 62- Health Survey online Entry payment to firm		

Certified that out of Rs. _____ of grants-in-aids sanctioned during the financial year 2015-2016 (_____) in favour of the _____ by the Arogya Rajasthan Department of Medical & Health, Govt. of Rajasthan vide letter nos. (given above) and Rs. _____ on account of unspent balance of the previous year (s), a sum of Rs. _____ has been utilized for the purpose for which it as sanctioned and that the balance of Rs. _____ remained as unutilized at the end of the year, will be adjusted towards the grants-in-aid payable during the next year.

Further certified that I have satisfied myself that the conditions, on which the grants-in-aid was sanctioned, have been duly fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Checks exercised:

Examining of

- Cash Book
- Ledger
- Monthly Statements of Expenditure
- Audit Report

Signature of
Chartered Accountant/Accountant

With Seal

Signature of
Director with Seal

Name of Society/Institution

Note: (1) Unspent balance/Unutilized amount of previous year plus released of funds during the year under audit are the "total funds available."

(2) Closing balances of the year means "amount remained un-utilized or not spent."

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

क्रमांक : एफ ()/चि. व स्वा./आरोग्य राजस्थान/2015/

दिनांक :

डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्राप्ति रसीद

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015-16 आरोग्य राजस्थान की क्रियान्विती हेतु विभिन्न गतिविधियों हेतु बजट आवंटन बजट मद 2210-01-001-(01)-
हेतु अतिरिक्त निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर के पीडी खाते से निम्न डीडी/चैक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, तिलक मार्ग शाखा जयपुर का प्राप्त किया है।

जिला	आब्जेक्ट हेड	गतिविधि का नाम	डीडी/दिनांक	राशि रुपये में
	08			
	29			
	36			
	62			

प्राप्त करने वाले अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
अधिकारी कर्मचारी का नाम
कार्यालय का नाम
मोबाईल नम्बर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी